भगवतीप्रसाद

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2003 की आपराधिक अपील संख्या 1368)

दिसम्बर 3, 2009

{आर. वी. रविन्द्रन, वी. एस. सिरपुरकर एवं दीपक वर्मा, न्यायमूर्तिगण }

दंड संहिता, 1860: धारा 304 (भाग I) - प्रत्यक्षदर्शियां की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि - हस्तक्षेप - अभिनिर्धारितः हस्तक्षेप के लिए मामला नहीं बनता - चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा दिन के उजाले में हमला देखा गया -चक्षुदर्शी साक्षियों की चोटों का स्पष्टीकरण नहीं, छोटी-मोटी विसंगतियां सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को प्रभावित नहीं करेंगी - दोष सिद्धि बहाल की गई - 5 वर्ष की सजा कठोर नहीं है।

अभियोजन का मामला यह था कि घटना के दिन पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और मृतक नहर से अपने खेत की सिंचाई करने गये थे, जब उन्होने सिंचाई के लिए नहर खोली, तो अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तगण भाले और लाठियों से लेस होकर वहां आए और उन्हें नहर खोलने से रोक दिया। जैसे ही शिकायतकर्ता पी.डब्लू-2 ने पानी लेने पर जोर दिया, ए-1 ने उस

पर लाठियां बरसा दीं। मृतक ने हस्तक्षेप किया। ए-6 ने उसकी पीठ पर भाला मारा और मृतक नीचे गिर गया। अन्य अभियुक्तगण ए-2, ए-3, ए-5 ने भी मृतक पर लाठियां बरसाईं। मृतक ने अस्पताल ले जाते समय चोटों के कारण रास्ते मे दम तोड़ दिया।

विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के बयानों में अनियमितताएं पाई और अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा.द.सं. की धारा 304(प्प्) के तहत और ए-1 व ए-4 को धारा 323 के तहत दोषसिद्ध किया। ए-2, ए-3 व ए-5 दोषमुक्त कर दिये गये। अपीलकर्ता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई जबकि ए-1 व ए-4 को साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसलिए वर्तमान अपील पेश हुई।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. साक्षियों ने विशेष रूप से बताया है कि मुख्य नहर शिकायतकर्ता के दो निकटवर्ती खेतों के उत्तरी तरफ थी। बंबा, यानि कि, नहर का मोघा उस नहर से उत्तरी तरफ है और तब पानी छोटे मोघा में आता है जो शिकायतकर्ता के खेत के पूर्वी तरफ को सिंचित करता है। उस खेत के बगल में शिकायतकर्ता का एक और खेत है और स्वाभाविक रूप से बंबा से पानी लेने के लिए एक जलसेतु होना चाहिये, जो मृतक के बगल वाले खेत तक जाएगा। घटना उसी स्थान पर घटी होगी। ग्रामीणों द्वारा इस्तेमाल की

जाने वाली शब्दावली और शब्दों को पुलिस द्वारा उनके बयान दर्ज करते समय हमेशा भ्रमित किया जा सकता है। ऐसी छोटी-मोटी विसंगतियों को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। साक्ष्य की व्यापक विशेषताएं यह थीं कि शिकायतकर्ता पक्ष अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था और इसके लिए अपने खेत में पानी की आपूर्ति के लिए जलसेतु को खोलना चाहते थे और यही वह स्थान था जहां कि घटना घटी। एक बार जब दो चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य, जो स्वयं आहत चक्षुदर्शी साक्षी थे, को विस्तृत विचार विमर्श के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और जहां उन्होने बताया कि घटना शिकायतकर्ता के खेत में घटी थी और जहां शिकायतकर्ता के खेत का स्थान साक्ष्य से निश्चित हो गया था, साक्ष्य तुरन्त स्वीकार्य हो गई और तब ऐसी छोटी-मोटी विसंगतियां कि यह स्थान ए था या स्थान बी, को पृष्ठभूमि मे धकेल दिया जाएगा। ऐसी छोटी-मोटी विसंगतियां सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को प्रभावित नहीं कर सकतीं। यह तभी होता है जब बचाव पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम होता है कि स्थान का परिवर्तन जानबूझकर किया गया था और ऐसा परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण था कि अभियोजन कहानी को प्रभावित कर देगा, ऐसी विसंगतियां महत्व रखती हैं। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट रूप से एक खुला और बंद मामला था जहां दो चक्षुदर्शी साक्षियों ने दिन के उजाले में अभियुक्तगण द्वारा हमला देखा। दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन में इस बारे मे कोई अंतर नहीं था कि यह वर्तमान अपीलकर्ता ही था, जिसने

मृतक की पीठ पर भाला मारा था। यह तुरन्त देखा जाना चाहिये कि दोनों गवाह, यानि केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) और रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) घायल हो गये थे और उनकी चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। {पैरा 11}

रचामरेड्डी चेन्ना रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य 1999 (3) एससीसी 97; लीलाराम (मृत) बनाम दुली चंद बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य 1999 (9) एससीसी 525; राजस्थान राज्य बनाम हनुमान 2001 (1) एससीसी 337; मंुशी प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 2002 (1) एससीसी 351; शंकर महतो बनाम बिहार राज्य 2002 (6) एससीसी 431- सन्दर्भित।

2. चिकित्सा प्रमाण पत्र में चोटों की अवधि 24 घंटे बतायी गई थी। अब, यह स्पष्ट है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र में चोटों की अधिकतम अवधि बतायी गई थी। अभिप्राय यह था कि डॉक्टर द्वारा साक्षियों की जांच करने के 24 घंटे के भीतर चोटें लग सकती थीं। यह ध्यान में रखना चाहिये कि पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में, चोटों की सटीक अवधि का निर्धारण चोटों की आंतरिक जांच के कारण संभव हो सकता है, जबकि डॉक्टर को ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है जब वह नीलगू प्रकृति की चोटों की जांच करता है। इसलिए आमतौर पर ऐसे प्रमाणपत्रों में अनुमानित अवधि बताई जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करने और अभियुक्तगण को दोषी ठहराने में उच्च न्यायालय बिल्कुल सही

था। यह देखते हुए कि एक जीवन समाप्त हो गया है और वह भी बिना किसी औचित्य के, पांच वर्ष की सजा कठोर नहीं है। {पैरा 12, 14 व 15}

केस कानून संदर्भ

1999 (3) एससीसी 97	सन्दर्भित	पैरा 6
1999 (9) एससीसी 525	सन्दर्भित	पैरा 6
2001 (1) एससीसी 337	सन्दर्भित	पैरा 6
2002 (1) एससीसी 351	सन्दर्भित	पैरा 6
2002 (6) एससीसी 431	सन्दर्भित	पैरा 7

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2003 की आपराधिक अपील सं. 1368

उच्च न्यायालय जबलपुर की ग्वालियर खंडपीठ के 1986 की आपराधिक अपील संख्या 239 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13.12.2002 से।

एस. के. दुबे, जे. पी. पाण्डे, योगेश तिवारी (सोमनाथ मुखर्जी के लिए), अपीलकर्ता की ओर से।

विभा दत्ता मखीजा, बी. एस. बंथिया, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया

1. यहां अपीलकर्ता ने, जो कि मूल विचारण में आरोपी नं. 6 (ए-6) था, उच्च न्यायालय के निर्णय को, जिसने राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया और विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त कर दिया, को चुनौती दी है। सभी अभियुक्तगण का विचारण भारतीय दंड संहिता (जिसे आगे संक्षेप में भादस कहा जाएगा) की धारा 148 व 302 सपठित धारा 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए विचारण किया गया, जबकि वर्तमान अपीलकर्ता के विरूद्ध मूल रूप से धारा 148 व 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप था।

2. आरोप यह था कि सभी अभियुक्तगण ने, जिनकी संख्या छह थी, एक विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया और उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में 18.02.1984 को लगभग सुबह 7 बजे रामगोपाल (मृतक) की हत्या कर दी। अभियोजन कहानी के अनुसार रामगोपाल (मृतक) के भाई, बंसीपुरा के केदार प्रसाद (पीडब्ल्यू-2) द्वारा पुलिस थाना अंबाह में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह मृतक व पड़ोसी कृषक रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) पुत्र तुलाराम के साथ 12 किमी दूर स्थित ग्राम लहदरिया में नहर से अपने खेत में सिंचाई करने गया था। जब उन्होंने सिंचाई के लिए

नहर खोली, उस समय, भगवती (यहां अपीलकर्ता) भाले से तथा अन्य अभियुक्तगण लाठी से लैस होकर वहां आए और उन्हें नहर खोलने से रोक दिया। उक्त सभी अभियुक्तगण लहदरिया के रहने वाले थे और आस-पास ही रहते थे। वहां बहस हुई, क्योंकि अभियुक्तगण ने शिकायतकर्ता पक्ष को नहर से पानी लेने के लिए रोक दिया जबकि शिकायतकर्ता ने पानी लेने पर जोर दिया, जिस पर मूल अभियुक्त सं. 1 बाबूराम (ए-1) ने केदार प्रसाद (शिकायतकर्ता/ पीडब्ल्यू-2) पर लाठी से हमला कर दिया। जब रामगोपाल (मृतक) उसे बचाने आया तो भगवती (ए-6) ने रामगोपाल के पीठ पर भाला मारा, जिसके परिणामस्वरूप रामगोपाल गिर गया। आगे यह कहा गया कि अन्य अभियुक्तगण मूल अभियुक्त सं. 5 देवीप्रसाद (ए-5), मूल अभियुक्त सं. 2 हरिशंकर (ए-2) और मूल अभियुक्त सं. 3 राधाचरण (ए-3) ने भी घायल रामगोपाल (मृतक) पर लाठियां बरसाईं। इसके बाद रामगोपाल को अंबाह ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

3. सूचना प्राप्त होने पर सामान्य जांच आरंभ कर दी गई। जांच रिपोर्ट तैयार की गई और रामगोपाल (मृतक) का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जो डॉ0 के एस चौहान (पीडब्ल्यू-1) द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि मृत्यु भेदने वाले प्रहार से हुई, जिसके कारण भाला घुसने से दाहिना फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। रिपोर्ट दर्ज

होने के बाद, उप निरीक्षक संभूसिंह (पीडब्ल्यू-9) ने सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया, जो आरंभ में फरार थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद, भगवती (यहां अपीलकर्ता) गेहूं के खेत से अपराध में प्रयुक्त भाला बताने को सहमत हो गया, तदनुसार वह उस स्थान से बरामद किया गया था। इसी प्रकार, अन्य अभियुक्तगण ने भी अपराध में उपयोग की गई उनकी लाठियां बरामद कराने के बारे में सूचना दी। भाले को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर, म.प्र. भेजा गया और अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् आरोप पत्र दाखिल किया गया।

4. विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तगण को सभी अपराधों से दोषमुक्त कर दिया। विचारण न्यायालय ने माना कि सामान्य उद्देश्य के लिए कोई सीधी साक्ष्य नहीं थी। यह भी माना गया कि दो चक्षुदर्शी साक्षियों केदार प्रसाद (पीडब्ल्यू-2) पर रामगोपाल (मृतक) का भाई होने के कारण व रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) पुत्र तुलाराम पर मृतक का चचेरा भाई होने के कारण भरोसा नहीं किया जा सकता था। उनकी साक्ष्यों का हवाला देते हुए विचारण न्यायालय ने दो अनियमितताएं पाईं, जो विचारण न्यायालय के अनुसार सारभूत थीं। पहली घटनास्थल की ठीक से पहचान नहीं हो पाने से संबंधित थी। इसके लिए, विचारण न्यायालय ने पाया कि चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानों व घटनास्थल के नक्शे (प्रदर्श पी-4) में विरोधाभास था। विचारण न्यायालय के अनुसार दूसरी अनियमितता जांच

पंचनामा (प्रदर्श पी-12) के बारे में थी जो फटा हुआ पाया गया था। विचारण न्यायालय के अनुसार, पंचनामा की कार्बन प्रति उपलब्ध कराने में पुलिस विफल रही, यद्यपि न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसका पालन पुलिस ने नहीं किया। विचारण न्यायालय के मुताबिक उस पंचनामे को जान-बूझकर रोका गया था। कुछ अन्य अनियमितताओं के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने पाया कि खेत में खून की मौजूदगी और जिस स्थान पर खून पाया गया था, उसके बारे में केदार प्रसाद (पीडब्ल्यू-2) और रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) के बयान में विरोधाभास था। रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) की साक्ष्य में एक और विरोधाभास पाया गया कि क्या वह शिकायतकर्ता पक्ष के साथ था या कुछ समय बाद उनके साथ शामिल हुआ था। इन आधारों पर, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं हुआ।

5. इस आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने अपने सुविचारित निर्णय में सभी मुद्दों पर चर्चा की। उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह माना कि अपील न्यायालय होने के नाते उसके पास साक्ष्य की समीक्षा करने की पूरी शक्तियां हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में साक्ष्य की विवेचना के लिए अपनाये जाने वाले सिद्धांतों की परीक्षा की। इसके बाद उच्च न्यायालय ने माना कि मृतक की दर्दनाक और मानव वधिक मृत्यु साबित थी।

चिकित्सीय साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा सबसे पहले सेशन न्यायाधीश द्वारा पुलिस के खिलाफ की गई टीका टिप्पणियों पर विचार किया। वे टिप्पणियां विचारण न्यायालय के निर्णय के पैरा 13 व 14 में पाई गईं। हुआ यह कि पंचनामा (प्रदर्श पी-12) का कुछ भाग नहीं मिला था। विचारण न्यायालय ने यह माना था कि मूल पंचनामा का वह भाग जान-बूझकर फाड़ा गया था। यह प्रतीत होता है कि सेशन न्यायाधीश ने कुछ दस्तावेजों की कार्बन प्रति को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये थे और कुछ पत्र (प्रदर्श सी-1 से प्रदर्श सी-4) लिखे थे। हालांकि, लोक अभियोजक द्वारा यह बताया गया कि केस डायरी की मूल प्रति व दस्तावेज पहले से ही न्यायालय के समक्ष थे और इसलिए प्रलेख की कार्बन प्रति पेश करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसे सेशन न्यायाधीश ने ठीक नहीं माना और उन्होंने अपने निर्णय के पैरा 13 में यह गौर किया किः-

> "13. अफसोस की बात है कि पुलिस ने इस न्यायालय के साथ बचाव और दुश्मन की तरह व्यवहार किया है। जब पुलिस का न्यायालय के प्रति ऐसा सम्मान है, तो न्यायपालिका का बुरा दिन आ गया है। यह कहा जाता है कि आज भी लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है। लोग बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।"

इसके आगे पैरा 14 में सेशन न्यायाधीश ने कहा किः-

"14. तथ्य इतना आसान नहीं है, चोर-के-दाढ़ी-में-तिनका का तथ्य इस मामले में सामने आया है। केस डायरी की कार्बन प्रति जान-बूझकर छुपाई गई है। कार्बन प्रति प्रस्तुत कर दी जाती तो शव के पंचनामा (पी-12) के निचले भाग को घुमाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता या अभियोजन की सद्भावना साबित हो जाती। डायरी की कार्बन प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाने की गतिविधियों से, यह आसानी से कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति श्री आर.बी. शर्मा, एस.पी.ओ. (पुलिस), अंबाह अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी को बचाने के लिए शव के पंचनामा को घुमाने (संभवतया फाड़ने) के लिए स्वयं जिम्मेदार है। वह न्यायालय की अवमानना का जोखिम नहीं उठा सकता और इसलिए, वहां द्वितीय अपराध का संकेत है।"

उच्च न्यायालय ने इस पर गौर किया और पाया कि ये सभी टिप्पणियां प्रकरण का निर्णय करने के लिए पूरी तरह से अनुचित, असंगत और अनावश्यक थीं। आगे यह गौर किया गया कि 22.08.1985 को प्रलेख रखने वाले रीडर का स्पष्टीकरण नहीं लिया गया, जब आर.एन. शर्मा (पीडब्ल्यू-6), जिसने जांच पंचनामा तैयार किया था, परीक्षित हुआ था और उससे कोई प्रश्न नहीं किया गया। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह पाया

कि कम से कम उस दिनांक तक जांच पंचनामा अक्षुण्ण था। आगे यह कहा गया कि शायद यह पत्रावली को संभालते समय फट गई या विकृत हो गई। उच्च न्यायालय ने आगे यह पाया कि पंचनामा की प्रति बचाव पक्ष को दी गई थी और विचारण न्यायालय को या तो वह प्रति बचाव पक्ष से ले लेनी चाहिए थी या उसकी कार्बन प्रति, स्थिति को बताते हुए, भेजने के लिए पुलिस अधीक्षक को उपयुक्त ज्ञापन लिखना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने यह भी गौर किया कि कार्बन प्रति प्राप्त करने के लिए सहायक लोक अभियोजक को भेजना और पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत रूप से बात करने पर जोर देना एक अनावश्यक अभ्यास था। उच्च न्यायालय ने यह भी गौर किया कि इससे कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना अनुचित था।

6. उच्च न्यायालय ने तब दो चक्षुदर्शी साक्षियों केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) और रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) की साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनकी साक्ष्य विश्वसनीय और अटल थी। इसके लिए, उच्च न्यायालय ने डॉ0 के.एस. चौहान (पीडब्ल्यू-1) की चिकित्सीय साक्ष्य पर व इस तथ्य पर भी कि केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) और रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) को भी उसी घटना में चोटें लगी थीं, भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष के इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि ये दोनों गवाह थे और इसलिए, उनकी साक्ष्य अस्वीकार किये जाने

योग्य थी। इस प्रस्थापना के लिए उच्च न्यायालय ने रचामरेड्डी चेन्ना रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य {1999 (3) एससीसी 97}, लीलराम (मृतक) जरिये दुलीचंद बनाम हरियाणा राज्य व अन्य {1999 (9) एससीसी 525}, राजस्थान राज्य बनाम हनुमान {2001 (1) एससीसी 337} व मुंशी प्रसाद व अन्य बनाम बिहार राज्य {2002 (1) एससीसी 351} के निर्णयों पर भरोसा किया।

7. उच्च न्यायालय ने अमरसिंह (डीडब्ल्यू-1), ओमप्रकाश (डीडब्ल्यू-2), जो कि अभियुक्तगण के रिश्तेदार थे, भगवती प्रसाद (यहां अपीलकर्ता) की बहन के ब्रदर-इन-लॉ गोपीनाथ (डीडब्ल्यू-3), की भी साक्ष्य पर चर्चा की। गोपीनाथ (डीडब्ल्यू-3) को भगवती प्रसाद (यहां अपीलकर्ता) की अन्यत्र उपस्थिति को साबित करने के लिए परीक्षित कराया गया था, हालांकि, उच्च न्यायालय ने उक्त दावे को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कुछ अन्य साक्षियों जैसे रामदयाल व बंसी को परीक्षित नहीं कराये जाने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने से भी इंकार कर दिया क्योंकि वे घटना के बाद ही घटनास्थल पर आये थे। उच्च न्यायालय ने, अपने निर्णय के पैरा 18 में,घटनास्थल की स्थलाकृति पर चर्चा की है और हैड कांस्टेबल विश्राम पलिया (पीडब्ल्यू-8), और पटवारी जमना प्रसाद (पीडब्ल्यू-7), जिन्होंने नक्शा मौका तैयार किया, की साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा की है। इसमें नहर, बंबा और जलसेतु की स्थिति की

भी जांच की गई। बचाव पक्ष का यह दावा कि घटनास्थल के संबंध में गंभीर विसंगति थी, उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और निष्कर्ष दिया कि विचारण न्यायालय ने इस मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया था। उच्च न्यायालय ने तब दर्ज किया कि बचाव पक्ष के पास यह सुझाव देने के लिए कोई वैकल्पिक मामला नहीं था कि घटना कहीं और हुई थी। बचाव पक्ष ने केवल यह सुझाव दिया था कि किसी ने रात में नहर (बंबा) के मोघा के किनारे रामगोपाल (मृतक) की हत्या कर दी थी और अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मामला बनाया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवाद का वास्तविक स्थान किसी महत्व का नहीं था और दो घायल चक्षुदर्शी साक्षी केदार प्रसाद (पीडब्ल्यू-2) व रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) ने अभियोजन के मामले का स्पष्ट रूप से समर्थन किया था और, इसलिए शंकर महतो बनाम बिहार राज्य {2002 (6) एससीसी 431} में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, मामूली विसंगतियां, यदि थीं भी, दो चक्षुसाक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी और सिंचाई के लिए जलसेतु को खोलने की वजह से यह घटना हुई थी।

8. उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि देवीप्रसाद (ए-5), हरिशंकर (ए-2) व राधाचरण (ए-3) की संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं हुई और

उन्हें दोषमुक्त कर दिया। यह भी माना गया कि पांच व्यक्तियों की संलिप्तता साबित नहीं थी और बाबूराम (ए-1) व मूल अभियुक्त सं. 4 भागीरथ (ए-4) का मृतक की मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय नहीं हो सकता है। अंततः, अपने निर्णय के पैरा 20 में, उच्च न्यायालय द्वारा बताया गया कि वर्तमान अपीलकर्ता की ओर से अपराध धारा 302 भादस के अंतर्गत नहीं आ सकता है और यह केवल धारा 304 भाग प्प् (ए-2) के तहत आता है, जबकि बाबूलाल (ए-1) व भागीरथ (ए-4) को धारा 323 भादस के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। उस दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई, जबकि बाबूलाल (ए-1) व भागीरथ (ए-4) को न्यायालय उठने तक के साधारण कारावास और एक हजार रूपये अर्थदंड अदा करने, जिसकी अदायगी न करने पर तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा, की सजा सुनाई गई।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.के. दुबे ने उस स्थान पर बहुत जोर दिया, जहां कथित तौर पर घटना हुई थी। उन्होंने हमें चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य से अवगत कराया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के सुविचारित निर्णय को अपास्त करके त्रुटि की है। श्री दुबे ने सबसे पहले तर्क दिया कि घटना स्थल का बदला जाना स्पष्ट है क्योंकि जिस स्थान पर कथित तौर पर घटना हुई थी, वहां कोई खून नहीं था, हालांकि साक्षियों के

अनुसार रामगोपाल (मृतक) उस स्थान पर गिरा हुआ था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केदार प्रसाद (पीडब्ल्यू -2) ने शिकायतकर्ता के खेत में किसी स्थान पर खून का उल्लेख नहीं किया था, जबकि रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) की साक्ष्य के अनुसार एक जगह पर खून था। रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) ने बयान दिया कि उसने वह स्थान दिखाया था जहां खून था और अनुसंधान अधिकारी विश्राम पलिया (पीडब्ल्यू-8) ने घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी भी जब्त की थी। अपने बयान के पैरा 9 में, रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) ने कहा था कि जहां रामगोपाल (मृतक) गिरा था, खेत मंे उस स्थान पर खून मौजूद था। जब हम अनुसंधान अधिकारी विश्राम पलिया (पीडब्ल्यू-8) की साक्ष्य देखते हैं, तो उन्होंने दावा किया कि खेत में कोई खून नहीं पाया गया था। इसलिए अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा दावा विरोधाभासी है क्योंकि केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) के अनुसार घटना नहर के पास घटित हुई थी। उस स्थान पर या उस स्थान पर भी जहां मृतक द्वारा जलसेतु खोलना चाहा गया था, वहां कोई खून नहीं पाया गया था। इसकी तुलना में, रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) के दावे पर कि खेत में कहीं खून था और रामगोपाल (मृतक) पर उसी स्थान पर हमला किया गया था, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इससे केवल यही जाहिर होता है कि दोनो चक्षुदर्शी साक्षी पूरी तरफ से झूठ बोल रहे हैं और पूरी घटना काल्पनिक थी।

10. हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) का यह कथन कि उसने अनुसंधान अधिकारी विश्राम पलिया (पीडब्ल्यू-8) को खून का धब्बा दिखाया था और वहां पर खून था, अतिशयोक्ति के रूप अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये, खून के धब्बे के संबंध में किसी ग्रामीण की साक्ष्य की जगह हमने अनुसंधान अधिकारी, विश्राम पलिया (पीडब्ल्यू-8) की साक्ष्य को स्वीकार करना चुना, जिसने विशेष रूप से कहा कि खेत में कहीं भी खून नहीं था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह असंभव था कि शरीर से खून बाहर नहीं निकले, तथापि, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि खून एक ही घाव से नल के पानी की तरह बहेगा, भले ही वह घाव घातक साबित हुआ हो, जैसा कि डॉक्टर के.एस. चौहान (पीडब्ल्यू-1) ने बताया है। यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि उस समय मृतक ने बनियान और उसके उपर शर्ट पहन रखी थी और यदि खून निकला भी तो वह उस समय मृतक द्वारा पहने गये कपड़ों में लगा हो सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुसंधान अधिकारी, विश्राम पलिया (पीडब्ल्यू-8) की साक्ष्य अधिक स्वीकार्य व उपयुक्त होगी। निस्संदेह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सही हैं। इसके अलावा, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक की कोई धमनी कटी हो। यह इस तथ्य से अलग है कि इस बिन्दु पर केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सही बताया कि नक्शा मौका में या अवलोकन पंचनामा

में, कोई भी स्थान खून आलूदा नहीं दिखाया गया था और यदि वहां खून मौजूद था, तो अभियोजन पक्ष के लिए उस स्थान को छिपाने का या उसके बारे में बताने से बचने के लिए कोई कारण नहीं था। हमारी राय में, खून का होना या ना होना अपने आप मंे ऐसा तथ्य नहीं होगा जो दोनांे चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य को पूरी तरह मिटा देगा।

11. वास्तव में, नहर, बंबा और कूल इन तीन शब्दों के इस्तेमाल से काफी भ्रम पैदा हुआ था। साक्षियों ने विशेष रूप से बताया है कि मुख्य नहर शिकायतकर्ता के दो निकटवर्ती खेतों के उत्तरी तरफ थी। बंबा, यानि कि, नहर का आउटलेट उस नहर से उत्तरी तरफ है और तब पानी छोटे आउटलेट में आता है जो शिकायतकर्ता के खेत के पूर्वी तरफ को सिंचित करता है। उस खेत के बगल में शिकायतकर्ता का एक और खेत है और स्वाभाविक रूप से बंबा से पानी लेने के लिए एक जलसेतु होना चाहिये, जो मृतक के बगल वाले खेत तक जाएगा। घटना उसी स्थान पर घटी होगी। इस स्थिति को केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) द्वारा बताया गया है। उसने अपने बयान के पैरा 15 में बताया है कि घटना से एक दिन पहले, नहर से उसके खेत मे पानी छोड़ा गया था, पानी पहले नहर में छोड़ा गया था और वे (शिकायतकर्ता पक्ष) सुबह उसके खेत में पानी खोलने के लिए गये थे। वह निश्चित था कि उससे पहले, नहर में पानी नहीं बह रहा था। उसका इशारा जाहिर तौर पर उत्तरी तरफ की मुख्य नहर की ओर था। बचाव पक्ष के

विद्वान अधिवक्ता ने जोर दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ‘‘नहर’’ शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए तर्क दिया कि घटना का स्थान नहर के पास उत्तरी तरफ होना चाहिये। जाहिर तौर पर यह इस कारण असंभव है कि दोनों चक्षुदर्शी साक्षी इस बिन्दु पर एक मत हैं कि घटना शिकायतकर्ता के खेत में घटित हुई थी, जो उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम बह रही मुख्य नहर के बगल में नहीं था। साक्षी केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) ने विशिष्ट रूप से बताया कि:-

> ‘‘जब पानी नहर से खोला जाता है, तो वह बंबा में आता है और उसके बाद जब बंबा खोला जाता है तो कूल में आता है और जब कूल को खोला जाता है तो वह खेत में आता है।’’

घटना के संबंध में, गवाह ने पैरा 18 में बताया कि:-

> ‘‘हत्या लहदरिया गांव के पास स्थित खेत में हुई थी। हत्या अंबाह पुराने घाट नामक सड़क के पास स्थित खेत में नहीं हुई थी।’’

जब गवाह से पूछा गया कि क्या अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल से खून एकत्र किया था तो वह उत्तर देने में बहुत स्पष्ट था। उसने बताया:-

''मुझे नहीं पता अनुसंधान अधिकारी ने नक्शा मौका तैयार करते समय खून एकत्र किया था क्या। मुझे नहीं पता घटनास्थल पर खून मौजूद था क्या।''

रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) ने भी बताया कि:-

''झगड़ा पानी को लेकर हुआ था। केदार अपने खेत में पानी छोड़ रहा था। वह कूल से पानी छोड़ रहा था।''

रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हत्या केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) के खेत में हुई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में, उसने बताया कि उसे रामगोपाल (मृतक) या केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) ने खेत की सिंचाई करने के लिए नहीं बुलाया था और वह उनके साथ अपने खेत में जा रहा था। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसमें गलती पाई और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह गवाह झूठ बोल रहा था, क्योंकि इस गवाह का कथन यह था कि वह अपने खेत में सिंचाई करने जा रहा था और केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) का कथन यह था कि यह गवाह उनके साथ उनके खेत पर जा रहा था। तर्क सही है। इस गवाह का जाने का उद्देश्य क्या था, यह महत्वपूर्ण नहीं था। रामगोपाल पर हमले के समय यह गवाह वहां था अथवा नहीं, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। जाहिर था कि वह सिंचाई के लिए अथवा अपने खेत से घास लेने के लिए मौके पर गया

होगा। उद्देश्य अप्रासंगिक है। इसलिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क सही नहीं है।

घटना एवं स्थलाकृति के संबंध में रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) कहता है कि:-

> ‘‘यह सही है कि पानी पहले नहर से बंबा मंे छोड़ा जाता है और जब बंबा से छोड़ा जाता है तो यह कूल में आता है और जब कूल से छोड़ा जाता है तो यह बरहा में आता है और जब यह बरहा से छोड़ा जाता है तो खेत में आता है। जब पानी नहर से खोला गया था तो कोई झगड़ा नहीं हुआ था। नहर से बंबा लहदरिया गांव तक आया और वहां से मुड़ गया। हत्या के स्थान और कूल के स्थान की दूरी मुझे नहीं पता जहां से पानी बरहा के लिए छोड़ा गया था। यहां तक कि मैं गज, हाथ, खेत, कदम वगैरा में भी दूरी नहीं बता सकता।’’

हालांकि, उसने इस सुझाव को नकार दिया कि झगड़ा वहां हुआ था जहां नहर से पानी छोड़ा गया था। उसने आगे बताया कि:-

> ‘‘यह भी सही नहीं है कि जब पानी नहर से छोड़ा गया था तो अभियुक्तगण लाठी और बल्लम के साथ आए और झगड़ा व मारपीट शुरू कर दी।’’

अब, हमारी राय में, ऐसा सुझाव एक आत्मघाती सुझाव था। यह केवल अभियुक्तगण की हथियारों के साथ उपस्थिति को सुस्थापित करता है, जो उनके पास थे। गवाह ने आगे स्पष्ट किया कि जब पानी कूल से छोड़ा गया था, तो मारपीट हो गई थी। यह महसूस किया जाना चाहिये कि ग्रामीणों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली और शब्दों को पुलिस द्वारा उनके बयान दर्ज करते समय हमेशा भ्रमित किया जा सकता है। ऐसी छोटी-मोटी विसंगतियों को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। साक्ष्य की व्यापक विशेषताएं यह थीं कि शिकायतकर्ता पक्ष अपने खेत की सिंचाई करना चाहता था और इसके लिए अपने खेत में पानी की आपूर्ति के लिए जलसेतु को खोलना चाहते थे और यही वह स्थान था जहां कि घटना घटी। एक बार जब दो चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य, जो स्वयं आहत चक्षुदर्शी साक्षी थे, को विस्तृत विचार विमर्श के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और जहां उन्होंने बताया कि घटना शिकायतकर्ता के खेत में घटी थी और जहां शिकायतकर्ता के खेत का स्थान साक्ष्य से निश्चित हो गया था, साक्ष्य तुरन्त स्वीकार्य हो गई और तब ऐसी छोटी-मोटी विसंगतियां कि यह स्थान ए था या स्थान बी, को पृष्ठभूमि मंे धकेल दिया जाएगा। ऐसी छोटी-मोटी विसंगतियां सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को प्रभावित नहीं कर सकतीं। यह तभी होता है जब बचाव पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम होता है कि स्थान का परिवर्तन जानबूझकर किया गया था और ऐसा परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण था कि अभियोजन

कहानी को प्रभावित कर देगा, ऐसी विसंगतियां महत्व रखती हैं। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट रूप से एक खुला और बंद मामला था जहां दो चक्षुदर्शी साक्षियों ने दिन के उजाले में अभियुक्तगण द्वारा हमला देखा। दोनांे चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन में इस बारे मंे कोई अंतर नहीं था कि यह वर्तमान अपीलकर्ता ही था, जिसने मृतक की पीठ पर भाला मारा था। यह तुरन्त देखा जाना चाहिये कि दोनों गवाह, यानि केदारप्रसाद (पीडब्ल्यू-2) और रामगोपाल (पीडब्ल्यू-3) घायल हो गये थे और उनकी चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.के. दुबे ने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि चिकित्सा प्रमाण पत्र में चोटों की अवधि 24 घंटे बतायी गई थी। अब, यह स्पष्ट है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र में चोटों की अधिकतम अवधि बतायी गई थी। अभिप्राय यह था कि डॉक्टर द्वारा साक्षियों की जांच करने के 24 घंटे के भीतर चोटें लग सकती थीं। श्री दुबे ने फिर यह बताया कि पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में मृतक की चोटों की अवधि 6 घंटे बतायी गई है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि पोस्टमोर्टम रिपोर्ट में, चोटों की सटीक अवधि का निर्धारण चोटों की आंतरिक जांच के कारण संभव हो सकता है, जबकि डॉक्टर को ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है जब वह निलगु प्रकृति की चोटों की जांच करता है। इसलिए आमतौर पर ऐसे प्रमाणपत्रों में अनुमानित अवधि बताई जाती है। हम इस

पहलु पर बचाव पक्ष के तर्क से प्रभावित नहीं हैं और इसे अस्वीकार करते हैं।

13. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क देने का प्रयास किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कुछ विसंगतियां थी, जैसे कि एफ आई आर से यह पता चलता है कि घटना नहर के पास हुई थी। हम पहले ही इस तर्क पर विचार कर चुके हैं कि ''नहर'' शब्द का उपयोग कॉन्स्टंेबल की धारणा के कारण हो सकता है, जिसने स्थानीय भाषा में रिपोर्ट लिखी थी। हालांकि, वह घटनास्थल को उत्तरी तरफ नहर के पास नहीं ले जाएगा।

14. इसलिए, हमारी स्पष्ट राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दोषमुक्ति के निर्णय को अपास्त करने और अभियुक्तगण को दोषी ठहराने में उच्च न्यायालय बिल्कुल सही था।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.के. दुबे ने तब तर्क दिया कि इस तथ्य को देखते हुए कि अभियोजन इतने वर्षो से लंबित है, पांच वर्ष की सजा बहुत कठोर है। यह देखते हुए कि एक जीवन समाप्त हो गया है और वह भी बिना किसी औचित्य के, हमें नहीं लगता कि पांच वर्ष की सजा अनावश्यक रूप से कठोर है। परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

2009 की विविध आपराधिक याचिका सं. 18556 मूल अपील में पारित आदेश के प्रकाश में, यह याचिका निष्फल हो गई है और तदनुसार खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अश्विनी कुमार यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।